

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर

पीठासीन अधिकारी- सुश्री गरिमा लाटा (आर.ए.एस)

दावा संख्या 299/2014

नारायण सिंह पुत्र श्री नोप सिंह (मृतक)

1. भंवर सिंह
2. मनोहर सिंह
3. गंगा सिंह
4. राम सिंह
5. जगदीश सिंह पुत्रगण स्व० नारायण सिंह
6. राजकंवर पुत्री स्व० नारायण सिंह
7. कंवर पत्नी स्व० नारायण सिंह

—वादीगण—

बनाम

1. सुलेमान
2. यासीन खां पुत्रगण महमद खां
3. मकबूल
4. हुसैन पुत्रगण करीम खां
5. सदीक
6. अनवर
7. अयुब
8. सलीम पुत्रगण गुलाब खां समस्त जाति कसाई मुसलमान निवासीगण सिंहासन तहसील व जिला सीकर
9. सुमन कंवर पत्नी रामसिंह जाति राजपूत
10. पार्वती पत्नी मोतीलाल जाति सोनी
11. सोहन कंवर पत्नी रेवन्त सिंह जाति राजपूत
12. शिवभगवान पुत्र केशरदेव जाति सोनी
13. किरण कंवर पत्नी श्रवण सिंह जाति राजपूत
14. बरकत पत्नी सुलेमान जाति कसाई मुसलमान मनोहर सिंह पुत्र नारायण सिंह जाति राजपूत समस्त निवासीगण सिंहासन तहसील व जिला सीकर
16. पंजाब नेशनल बैंक शाखा पिपराली जिला सीकर जरिये प्रबन्धक

31.1.2023




17. उप पंजीयक सीकर
18. पटवारी हल्का , पिपराली
19. तहसीलदार, सीकर

– प्रतिवादीगण –

वाद बाबत घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपरिध वकील वादीगण– श्री नोपाराम जांगिड़
वकील प्रतिवादीगण – श्री भगवान सिंह शेखावत

वाद वादी स्वीकार किया जाकर खसरा नम्बर 325 रकबा 1.01 है0 वाके ग्राम सिंहासन तहसील व जिला सीकर में से 0.8538 है0 का वादी को एवं 0.1562 है0 का प्रतिवादी संख्या 15 मनोहर सिंह को विक्रय पत्र के आधार पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। खसरा नम्बर 325 से प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 13 का नाम हजफ किया जाता है। रहन सुमनकंवर के हिस्से में है। जो बदस्तुर उसीके हिस्से में रहेगा। शेष खसरा नम्बर बदस्तुर जमाबंदी रहेंगे। तहसीलदार सीकर को निर्देशित किया जाता है कि इसी अनुसार अमल दरामद करें।



 (गरिमा लाटा)

उपखण्ड अधिकारी सीकर

वाद के खर्चे

वादी	प्रतिवादी	
	रुपया	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	5.00	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस
4. रुपये पर प्लीडर की फीस	36.00	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस
7. आदेशिका की तामिल		
जोड़	41.00	जोड़
		36.00

आज तारीख 31.1.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।


 उपखण्ड अधिकारी सीकर